न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मन्डल ग्वालियर म०प्र०

3916/90

3916/90

निगरानी - 1088- III/10

कुन्दु हा यादव तनय शिवदयाल यादव उम्री 65वर्ष, निवासीग्राम अुर्जनी, तह०मालीजिला उमरिया म०प्र० ---- आवेदक

विरुद्ध

1- सुभद्री वाई पुत्री लहमन उर्फ पूरन यादव एवम पत्नीलखनलाल यादव साकिन अर्दी, तह० सोहागपुर, जिला शहडोल म०प्र०

2- मुनिया वाई कक्षिा पुत्री लहमन पत्नी नामालूम जा०जरवाई हाल मुकाम जरमुला तह० बुढार, जिला शहडोल म०प्र०

----- अनावेदकगण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1088--दो/2010 जिला – उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16.6.14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक क. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उभयपक्षों को अनावेदक क. 1 द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति पर सुना गया । 2– उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्को विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आलोच्य आदेश द्वारा आयुक्त ने प्रकरण तहसीलदार, पाली को प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसके पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–12–11 को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रकरण को चलाए रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने से निरस्त की जाती है । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	